



छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड में उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा।

:: विभागीय विज्ञापन ::

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड में उप निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 12 (एक) अनुसार किये जाने हेतु उम्मीदवारों से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) रायपुर छ.ग. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है :-

स. क्र.	पद का नाम एवं पद संख्या	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	उपनिरीक्षक 180 पद	75	22	58	25	22	6	17	7	7	2	5	2	0	180	लेवल-06 (25300-80500)
	बैकलाग 20 पद	0	0	20	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	20	
कुल	200	75	22	78	25	22	6	23	7	7	2	7	2	0	200	

टीप:- पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :-

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि आदि जो संबंधित पद के लिये आवश्यक है कि स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(3) परिवीक्षा अवधि:-

- विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी। परिवीक्षावधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षावधि की समाप्ति के पश्चात् सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा।

(Handwritten signature)

- (ii) परिवीक्षा अवधि छः माह के हिसाब से दो बार यानी कुल बारह माह तक नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
- (iii) प्रत्येक परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

(4) पदों हेतु आरक्षण—

- (i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (ii) राज्य में सीधी भर्ती के लिए लागू महिला आरक्षण, के संबंध में जारी किए गये नियम/ निर्देश लागू होंगे।
- (iii) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
- (iii) छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2029 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (iv) छ.ग. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन पत्र में यथा स्थान स्पष्ट उल्लेख का प्रमाण पत्र का क्रमांक/दिनांक जारी करता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।
- (v) छ.ग. के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं, वे भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (vi) विज्ञापित पदों में से कोई भी पद दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थी, उक्त पद हेतु किसी वर्ग के लिए अपात्र होंगे।

(5) निर्धारित आयु सीमा:—

छ.ग. मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्य विशेष वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा न्यूनतम एवं अधिकतम होगी।

छ.ग. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)/ महिला आदि के लिए दिए गए छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी। अतः आवेदक अपने आयु सीमा में छूट हेतु शासकीय नियमों निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें एवं उसके प्रमाण स्वरूप आवश्यक स्व प्रमाणित दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करावे।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(6) जाति प्रमाण पत्र—

- (i) यदि अभ्यर्थी छ.ग. राज्य का मूल/स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छ.ग. राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष (2023-24, 2024-25, तथा 2025-26) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र आधारित हो।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र—

- (i) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। परंतु ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
- (ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो लिया जायेगा, परंतु परीक्षा पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिये संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) अनर्हता :- छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी—

- I. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

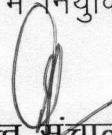
- II. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक की उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- III. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रख जायेगा।
- IV. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

(9) चयन प्रक्रिया :-

- (i) चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी।
 - (ii) व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम के आधार पर सूची जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।
 - (iii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
 - (iv) परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा आयोजन, ऑनलाइन आवेदन की विधि आदि के विस्तृत निर्देश व्यापम के वेबसाइट <http://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है।
- (10) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिंदु पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा।
- (11) चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा।
- (12) इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- (13) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर प्रदेश की किसी भी मंडी समितियों में पदस्थापना दी जावेगी।
- (14) संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में शासन के निर्देशानुसार अवधि बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
- (15) इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें :-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को अपने नियुक्ति के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति, कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. उपरोक्त पदों पर किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये किसी भी प्रकार की अनुशांसा अथवा दबाव वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावेगा।
4. सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा प्रारंभ करने के तत्काल पूर्व में उसके स्वामित्व की इसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित या उसके कुटुम्ब के उस पर आश्रित किसी भी सदस्य के स्वामित्व की उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित समस्त अचल संपत्तियों की घोषणा करेगा।
5. उसे भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी होगी।
6. वह यह भी घोषित करेगा कि उसे सेवा के निबंधनों नियमों तथा शर्तों की जानकारी है व वह उसका पूर्णतः पालन करेगा।
7. इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी का रहेगा, एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा एवं नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
8. यह नियुक्ति छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के दायित्वाधीन होगी।
9. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी शर्तों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।


संयुक्त संचालक
 छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 नवा रायपुर (छ.ग.)

